प्रेस नोट–82 / 2026
दिनांक 07.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ में यातायात निदेशालय, उ०प्र० एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजूकेशन (IRTE), फरीदाबाद, हरियाणा के सहयोग से 02 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन

मा0 मुख्यमंत्री उ0प्र0 श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा प्रदेश में सड़क दुर्घटनाओं एवं उनमें होने वाली जनहानि को न्यूनतम स्तर पर लाने हेतु दिये गये निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** के मार्गदर्शन में यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा निरंतर सड़क दुर्घटनाओं की समीक्षा करते हुए उनकी प्रभावी रोकथाम हेतु योजनाबद्ध एवं सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। इसी क्रम में पुलिस मुख्यालय, उ0प्र0, लखनऊ स्थित अमर शहीद चन्द्रशेखर आजाद प्रेक्षागृह में यातायात निदेशालय, उ0प्र0 एवं इन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजूकेशन (IRTE), फरीदाबाद, हरियाणा के सहयोग से आज दिनांक 07–02–2026 को दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया गया।

यह कार्यशाला प्रदेश में सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित की गयी है, जिसमें सड़क सुरक्षा के पाँच मूलभूत स्तम्भ–एजुकेशन, एनफोर्समेंट, इंजीनियरिंग, इमरजेंसी केयर एवं इनवायरमेन्ट पर विशेष बल दिया गया है। सड़क दुर्घटना में होनी वाली मृत्यु को न्यूनतम स्तर पर लाने हेतु महात्वाकाक्षी योजना जीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट (ZFD) की शुरूआत माह नवम्बर में की गयी थी, जिसके प्रथम चरण में 20 जनपदों के 242 क्रिटिकल थानों में 89 क्रिटिकल कॉरिडोर एवं 3233 क्रिटिकल क्रैश लोकेशन का चिन्हांकन कर सुनियोजित ढ़ग से की गयी कार्यवाही के परिणाम स्वरूप सार्थक एवं सकारात्मक परिणाम प्राप्त हुए हैं।

प्रथम चरण के सकारात्मक परिणामों के दृष्टिगत ZFD कार्यक्रम के द्वितीय चरण में प्रदेश के शेष 55 जनपदों में सर्वाधिक दुर्घटना वाले 245 क्रिटिकल थानों का चिन्हांकन किया गया है। इस 02 दिवसीय कार्यशाला में उक्त 55 जनपदों के 44 राजपत्रित अधिकारी यातायात, 55 निरीक्षक / उपनिरीक्षक यातायात तथा 55 क्रिटिकल कॉरिडोर टीम प्रभारी (उपनिरीक्षक यातायात पुलिस) द्वारा प्रतिभाग किया जा रहा है, जिन्हें डा0 रोहित बलूजा, अध्यक्ष इन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजूकेशन (IRTE) फरीदाबाद हरियाणा एवं उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा सड़क दुर्घटना जॉच / विवेचना की नवनीतम पद्धति के बारे में जानकारी प्रदान की जायेगी।

इस 02 दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन के अवसर पर **पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 श्री राजीव कृष्ण** ने अपने उद्बोधन में सड़क दुर्घटनाओं में कमी के लिए निरंतर जन–जागरूकता और प्रभावी प्रवर्तन को सबसे महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि नवंबर के 'यातायात माह' तक सीमित रहने के बजाय जागरूकता अभियान पूरे वर्ष चलने चाहिए। नगर निगमों के सहयोग से ब्लैक स्पॉट्स पर स्थायी होर्डिंग्स लगाने और सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार को उन्होंने जीवन रक्षा के लिए आवश्यक बताया।

उन्होंने अलीगढ़–बुलंदशहर, कानपुर–हमीरपुर और लखनऊ–सीतापुर मार्गों पर चलाए गए ZFD कार्यक्रम के पायलट प्रोजेक्ट की सफलता साझा की, जहाँ केंद्रित पेट्रोलिंग और दुर्घटना के कारणों की गहन जांच सुनिश्चित करने से मात्र 02 महीनों में दुर्घटनाओं में 30 प्रतिशत से 58 प्रतिशत तक कमी आई है।

उन्होंने बल दिया कि भारी जुर्माने से अधिक जरूरी यह है कि हर उल्लंघन पर दंड मिले, जिससे नियमों के प्रति जवाबदेही बने। तकनीकी पहल के तहत 'ज़ीरो फैटलिटी कॉरिडोर' के प्रभावी क्रियान्वयन, ओवर–स्पीडिंग पर मोबाइल अलर्ट तथा एआई कैमरों व ऑटोमैटिक चालान व्यवस्था को और व्यावहारिक बनाने की बात कही।

अंत में उन्होंने अधिकारियों से इस प्रशिक्षण को अपने जिलों में निष्ठापूर्वक लागू करने का आह्वान किया, ताकि सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली जनहानि को न्यूनतम किया जा सके।

कार्यक्रम कें दौरान **डा0 रोहित बलूजा, अध्यक्ष इन्स्टीट्यूट ऑफ रोड ट्रैफिक एजूकेशन (IRTE) फरीदाबाद हरियाणा** ने सड़क दुर्घटना जांच में पुलिस और परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जांच वैज्ञानिक, तथ्य–आधारित और तकनीकी साक्ष्यों पर आधारित होनी चाहिए; केवल "तेज रफ्तार" या "लापरवाही" जैसे शब्द पर्याप्त नहीं हैं। उन्होंने भारतीय न्याय संहिता (BNS) को मोटर व्हीकल एक्ट से जोड़कर मजबूत कानूनी केस बनाने का सुझाव दिया।

उन्होंने तकनीक के उपयोग पर कहा कि एआई और कैमरे उपयोगी हैं, लेकिन वास्तविक प्रभाव मानव क्षमता पर निर्भर करता है, इसलिए अधिकारियों की क्षमता–विकास जरूरी है।

अंत में उन्होंने 'ज़ीरो फैटलिटी' लक्ष्य के लिए मुरादाबाद पुलिस अकादमी की तर्ज पर "ट्रेनर्स को ट्रेन" मॉडल अपनाने का सुझाव दिया।

निदेशक/अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात एवं सड़क सुरक्षा) श्री ए0 सतीश गणेश द्वारा कार्यशाला में आये प्रतिभागियों को सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम तथा उनमें होने वाली जनहानि को न्यूनतम करने के उपायों के सम्बन्ध में विस्तारपूर्वक एवं जागरूकतापूर्ण जानकारी दी गयी।

प्रेस नोट–83 / 2026
दिनांक 07.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

थाना साइबर क्राइम व साइबर सेल अलीगढ की संयुक्त टीमों द्वारा शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर लाभ कमाने के नाम पर धोखाधड़ी/ठगी करने वाले अन्तर्राज्यीय गैंग के 12 साइबर अभियुक्तों की गिरफ्तारी एवं वादी के खाते में 05 लाख 64 हजार रूपये कराये गये वापस।

- **तकनीकी विवेचना के आधार पर संदिग्ध बैंक खातों को फ्रीज़ कराया गया, लगभग 600 फर्जी व्हाट्सएप इन्वेस्टमेंट ग्रुप बंद कराए गए तथा करीब ₹500 करोड़ की संभावित ठगी रोकी गई।**
- **अभियुक्तों के पास से 30 पासबुक/चेकबुक, 28 डेबिट कार्ड, 23 मोबाइल, 13 सिम, 1 लैपटॉप, 2 जियो राउटर सहित अन्य आपत्तिजनक सामग्री बरामद।**
- **गिरोह के खिलाफ महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व केरल में एनसीआरपी पर कुल 13 शिकायतें दर्ज, विदेश स्थित मास्टरमाइंड पर कार्रवाई हेतु सीबीआई व इन्टपोल एजेंसियों से समन्वय जारी।**

मा० मुख्यमंत्री उ०प्र०, श्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा साइबर अपराध को राज्य की आंतरिक सुरक्षा, सामाजिक स्थिरता एवं नागरिकों की निजता के लिए एक गंभीर चुनौती मानते हुए इसकी रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रभावी अन्वेषण हेतु दिए गए निर्देशों के क्रम में **पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० श्री राजीव कृष्ण** द्वारा साइबर अपराध की रोकथाम को विशेष प्राथमिकता देते हुए व्यापक जन-जागरूकता, सतत प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन पर बल देने तथा अपराधियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने के निर्देश दिए गए हैं।

पुलिस उपमहानिरीक्षक, अलीगढ़ परिक्षेत्र, अलीगढ़ एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अलीगढ़ के मार्गदर्शन एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/नोडल अधिकारी साइबर अपराध श्री अमृत जैन के निर्देशन में साइबर थाना पुलिस टीम द्वारा घटना के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर साइबर क्राइम पुलिस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराकर -/64,000रुपये लीन/होल्ड कराये गये तथा उक्त अपराध के सफल अनावरण हेतु 05 टीमों का गठन किया गया तथा गठित टीमों द्वारा तकनीकी संसाधनों का प्रयोग करते हुए थाना साइबर क्राइम जनपद अलीगढ़ द्वारा अभिसूचना संकलन करके विवेचना अमल में लाई गयी।

विवेचनात्मक कार्यवाही से प्राप्त साक्ष्यों से ज्ञात हुआ कि उपरोक्त घटना में संलिप्त मास्टरमाइंड के संबंध हाँगकाँग के ग्रुप से जुड़े हुए हैं जो इस तरह के भोले –भाले लोगों को म्यूचल बैंक अकाउन्ट खोलवाकर उनमें इंवेस्टमेंट के नाम पर धोखाधडी करते है और रुपये

ट्रांसफर कराकर खाताधारकों का साइबर स्लेवरी में दुरुपयोग करके उन्हे साइबर बंधक बनाकर उनसे रुपये विदेश/हांगकांग के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिये जाते है।

थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त की विवेचना में त्वरित कार्यवाही करते हुए धोखाधड़ी में संलिप्त संदिग्ध बैंक खातों को तत्काल फ्रीज़ कराया गया तथा साइबर ठगी के विभिन्न ग्रुपों .1CREATING MY OWN PATH LIVING FOOT PRINT , 2.VIP 5 TARGET PROFIT CREW CLUB में जोड़े गये लगभग लोगों को थाना 500 साइबर पुलिस द्वारा व्यक्तिगत रुप से फोन कर जागरुक किया कि इन ग्रुप्स में पैसा इन्वेस्ट न साथ-करोड का फ्रॉड होने से बचा तथा इन ग्रुप्स के साथ 500 करें इससे लगभगइस प्रकार के लगभग 600 व्हाट्सएप फ्राड ग्रुप्स को भी I4C और डिपार्टमेन्ट ऑफ टेलीकॉम के माध्यम से बन्द कराया गया। विवेचना के क्रम में साक्ष्य संकलन के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा (2)61/(2)340/(3)336/338/(4)111बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गयी। उक्त घटना में विदेश में बैठकर उक्त साइबर ठगी ग्रुप को संचालित करने वाले साइबर अपराधियों तक पहुंचने और उनके विरुद्ध कार्यवाही के लिये CBI व INTERPOL की सहायता ली जा रही है।

<u>घटना का संक्षिप्त विवरण-</u>

दिनांक 31.01.2026 को वादी श्री दिनेश कुमार शर्मा पुत्र स्व0 दयानन्द शर्मानिवासी फ्लैट नं 504 कावेरी टावर स्वर्ण जयंती नगर, रामघाट रोड थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ की तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 16/2026 धारा 318(4)/319(2) बीएनएस व 66डी आई टी एक्ट थाना साइबर क्राइम अलीगढ पर पंजीकृत किया गया किया गया था जिसमे साइबर अपराधियों द्वारा वादी को व्हाटसएप के माध्यम से लिंक भेजकर ग्रुप .1CREATING MY OWN PATH LIVING FOOT PRINT, 2.VIP 5 TARGET PROFIT CREW CLUB में जोड़कर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर 200 रतिशत तक लाभ कमाने के नाम पर दिनांक 18.12.2025 से 28.01.2026 तक कुल 1,10,70,000/रुपये की धोखाधड़ी की गयी थी।

उक्त अभियोग की विवेचना के दौरान निम्न अभियुक्त इस घटना में प्रकाश में आये जिन्हें गिरफ्तार किया गया।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त -</u>

1. जगन्नाथ प्रधान पुत्र भगवान प्रधान निवासी बंकालिडी,बाडाबोरासिंगी गंगापुर जिला गंजम, उडीसा
2. देवाषीश प्रधान पुत्र पिताम्बर प्रधान निवासी बेलाबडी तुरुमु भंजानगर जिला गंजम,उडीसा।
3. जितेन्द्र चौधरी पुत्र प्रभाकर चौधरी निवासी चुढियापल्ली अम्बापुआ थाना वैलगुन्ठ जिला गंजम उड़ीसा
4. रंकनिधि नायक पुत्र झरिया नायक निवासी चुढियापल्ली अम्बापुआ गंजम थाना वैलगुन्ठ जिला गंजम, उडीसा
5. दुर्गेश कुमार गुप्ता पुत्र मिठाईलाल गुप्ता निवासी म0नं0-468 रुनान्दा गाँधी चौक भिलाई जिला दुर्ग, छत्तीसगढ।

6. सूरज सिंह पवॉर पुत्र गणेश सिंह पंवार निवासी मोहथरानवाल मार्ग वार्डनं-37 अजबपुर कलांन देहरादून उत्तराखण्ड़।
7. रविन्द्र सिंह राठौर पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी फेज नं02 यमनोत्री एन्कलेव व चन्द्रभानी रोड़ अपोजिट वैष्णो माता मन्दिर रोवला कला मजरा देहरादून उत्तराखण्ड ।
8. सुरेश कुमार पुत्र गुलाब सिंह निवासी म0न0 बी 105 प्रिन्सिस पार्क ग्रेटर फरीदाबाद सेक्टर-86 ओल्ड फरीदाबाद, हरियाणा
9. नवनीत लहरी पुत्र सुनील कुमार निवासी नाडी रोड थाना सैफऊ जिला धौलपुर, राजस्थान
10. रिजवान पुत्र रियाजूद्दीन निवासी मदीना मस्जिद वाली गली जिला बुलन्दशहर151
11. आदित्यपाल पुत्र देवेश कुमार पाल निवासी म0नं0 69 साकेत पुरी मोहली रोड थाना हाइवे जिला मथुरा उ0प्र0।
12. आर्यन वत्स पुत्र लोकेश कुमार शर्मा निवासी म0नं 700 गली नं 15 दीपक बिहार खोडा कालोनी थाना खोडई गाजियाबाद हाल निवासी म0नं0 198 रोजजलालपुर गोल्डेन वैली सोसायटी थाना बिसरख जनपद गौतमबुद्ध नगर उ0प्र0 ।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास: -</u>
उपरोक्त अभियुक्तों के विरुद्ध महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, उत्तर प्रदेश व केरल से कुल 13 शिकायत एनसीआरपी पोर्टल पर दर्ज करायी गयी है ।

<u>बरामदगी -:</u>
1. पासबुक व चैकबुक - 30
2. क्रेडिट कार्ड – 02
3. डेबिट/एटीएम कार्ड - 28
4. मोबाइल फोन - 23
5. सिम कार्ड - 13
6. फर्जी फर्म की मुहर - 09
7. जियो राउटर - 02
8. लेपटॉप - 01
9. कैमरा - 01
10.वादी के बैंक खाते में 05 लाख 64 हजार रुपये वापस ।

प्रेस नोट–84 / 2026
दिनांक 07.02.2026

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

कमिश्नरेट आगरा / थाना नाई की मण्डी

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 06 लाख 57 हजार 500 रूपये नगद**
- **घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनॉकः 06.02.2026 को थाना नाई की मण्डी व एसओजी की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर थाना क्षेत्र से 04 अभियुक्तों 1–समीर पुत्र भूरा अली 2–समीर पुत्र स्व0 अल्लो 3–इमरान 4–राहुल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे / निशादेही से चोरी के 06 लाख 57 हजार 500 रूपये नगद, घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना नाई की मण्डी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना नाई की मण्डी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपये उक्त चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना नाई की मण्डी पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–समीर पुत्र भूरा अली निवासी जीआईसी कम्पाउण्ड थाना शाहगंज, आगरा।

2–समीर पुत्र स्व0 अल्लो निवासी जीआईसी कम्पाउण्ड थाना शाहगंज, आगरा।

3–इमरान निवासी जीआईसी कम्पाउण्ड थाना शाहगंज, आगरा।

4–राहुल निवासी जीआईसी कम्पाउण्ड थाना शाहगंज, आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के 06 लाख 57 हजार 500 रूपये नगद।

2–घटना में प्रयुक्त 02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद गोण्डा/थाना नवाबगंज

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 06.02.2026 को थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर किशुनदासपुर क्रासिंग के पास से अभियुक्त राजा निषाद को गिरफ्तार किया गया तथा एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 09 मोटर साइकिल बरामद हुयी।

इस सम्बन्ध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राजा निषाद निवासी नयेपुरिया थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी

1–चोरी की 09 मोटर साइकिल।

- **जनपद इटावा/थाना बलरई (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 08 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 02 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष की सजा व अर्थदण्ड)**

जनपद इटावा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद इटावा द्वारा थाना बलरई पर पंजीकृत अभियोग में धारा 147/148/149/307/302/452 भादवि व 07 सीएलए एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–प्रेमबाबू 2–बारेलाल 3–रामभगत 4–ऊदल 5–ज्ञान 6–राजवीर 7–राजू 8–राजेश को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड व अभियुक्त 1–रघुबरदयाल 2–रामवीर को धारा 307/147/148 भादवि के अन्तर्गत 07–07 वर्ष की सजा व 07–07 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद सोनभद्र /थाना घोरावल (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 02 अभियुक्तों को आजीवन कठोर कारावास व 01 लाख 11 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद सोनभद्र पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सोनभद्र द्वारा थाना घोरावल पर पंजीकृत अभियोग में धारा 342/363/506/376

(घ) (क) भादवि व 5जी/6 पॉक्सों एक्ट के अन्तर्गत 02 अभियुक्तो 1–राजपति 2–मन्नू को आजीवन कठोर कारावास की सजा व 01 लाख 11 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हमीरपुर /थाना राठ (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 12 वर्ष के कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हमीरपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हमीरपुर द्वारा थाना राठ पर पंजीकृत अभियोग में धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को 12 वर्ष के कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————